राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

क्रमांक : PSKS/अभियान–21/डीएलबी/2021/23346 दिनांक :– 02/11/2021

–: आदेश :–

राज्य सरकार द्वारा पूर्व से ही नाथद्वारा, पुष्कर, जैसलमेर व माउण्ट आबू को विशिष्ट श्रेणी में इन शहरों को रखा गया है तथा इनके निकाय अधिकारियों को कुछ प्रावधानों के तहत प्रकरणों में सीमित अधिकार दिये गये है एवं राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। जैसे राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–ए के अन्तर्गत कार्यवाही कर कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों को पट्टे जारी करना, कच्ची बस्तियों के पट्टे जारी करना आदि। ऐसे प्रकरणों का निस्तारण राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर किया जाता है।

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के दौरान ऐसे प्रकरणो को त्वरित गति से निस्तारण हेतु निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग में निम्न प्रकार व्यवस्था की जाती है :–

1. प्रत्येक शनिवार को प्रातः 11:00 बजे उपरोक्त निकायों के संबन्धित अधिकारी लम्बित प्रकरणों की पत्रावलियां संक्षिप्त नोट के साथ निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर में नॉडल अधिकारी को सौपेगें व कोई जिम्मेदार/विज्ञ अधिकारी लेकर आवे तो शीघ्र निस्तारण में मदद मिलेगी।
2. नॉडल अधिकारी परीक्षण कर सक्षम स्तर से आगामी शुक्रवार तक अनुमति प्राप्त करेगा तथा संबन्धित निकाय के अधिकारी को आगामी शनिवार को पत्रावलीयां निर्णय के साथ लौटा देगा।
3. निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सामने अंकित निकायों के लिये नोडल अधिकारी तथा लिंक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

क.सं.	नॉडल अधिकारी का नाम व मोबाईल नं.	लिंक अधिकारी का नाम व मोबाईल नं.	निकाय का नाम
1	श्री राजेश तुलारा अति. मुख्य नगर नियोजक मो. 9289316619	श्री संजीव पाण्डेय अति. निदेशक मो. 9314502994	नाथद्वारा
2	श्री संजीव पाण्डेय अति. निदेशक मो. 9314502994	श्री राजेश तुलारा अति. मुख्य नगर नियोजक मो. 9289316619	पुष्कर
3	श्री एन.के. वर्मा उप निदेशक, प्रशासन मो. 9680697887	श्रीमती कविता चौधरी सचिव, चयन आयोग मो 9829376452	जैसलमेर
4	श्रीमती कविता चौधरी सचिव, चयन आयोग मो 9829376452	श्री एन.के. वर्मा उप निदेशक, प्रशासन मो. 9680697887	माउण्ट आबू

यह व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से लागू की जाती है। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। यह आदेश प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 अवधि के लिए ही प्रभावशील रहेगा।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

D/PSKS2021/letter

क्रमांक : PSKS/अभियान–21/डीएलबी/2021/23347-362 दिनांक :– 02/11/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. जिला कलेक्टर, राजसमन्द, अजमेर, जैसलमेर एवं सिरोही।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर, जोधपुर एवं उदयपुर।
8. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/नगर पालिका, नाथद्वारा, पुष्कर, जैसलमेर एवं माउण्ट आबू।
9. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक

D/PSKS2021/letter